न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1211–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–02–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा प्रकरण कमांक 106/ए–6/2010–11

....

केशरी प्रसाद तनय स्व0 बुदन कोल
उम्र 50 साल, पेशा खेती व मजदूरी
निवासी–ग्राम भटलो, (गंगापुर लोहरा टोला)
वार्ड क्र0 1, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

.... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती कुसुम कली पुत्री स्व0 रामगरीब कोल,
पत्नी रामलखन कोल उम्र 60 साल पेशा–घरू कार्य,
निवासी–ग्राम भटलो, (गंगापुर लोहरा टोला)
वार्ड क्र0 1, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

....................अनावेदक

....

श्री राजीव लोचन, अभिभाषक, आवेदक
श्री उमेश चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक **11** जून 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी हूजूर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–02–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवादित भूमि खसरा क्रमांक 28/1क रकबा 0.85 ए0 व भूमि नं0 30/1 रकबा 1.88 जुमला रकबा 2.73ए0 स्थित ग्राम भटलो पटवारी हल्का नं0 22 (गंगापुर) .के वसीयत के आधार पर नामांतरण किये जाने बावत् आवेदक द्वारा संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा के समक्ष पेश किया। न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर के यहॉ प्रकरण क्रमांक 83/अ–6/2003–04 पर दर्ज किया गया। तहसीलदार हुजूर ने आदेश दिनांक 05.02.2004 को आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के यहॉ अपील पेश की। अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 28–3–14 के द्वारा अनावेदिका की ओर से अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश इसी के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक की ओर से मुख्य तर्क प्रस्तुत किया कि तहसील न्यायालय में अनावेदिका स्वयं उपस्थित थी और उसके द्वारा दिनांक 24.05.2003 को सहमत का जवाब प्रस्तुत किया तथा दिनांक 20.06.2003 को विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदिका का कथन लिया गया, इसके उपरांत ही तहसील न्यायालय ने आदेश पारित किया। उनके द्वारा यह भी तर्क किया कि सहमति के विरूद्ध अपील वर्जित होती है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदिका की उपस्थिति के बाद भी अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदिका को आदेश की जानकारी विलम्ब से होना मानते हुये धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाए।

4/ अनावेदिका के अभिभाषक की ओर से मुख्य रूप से तर्क किया कि अनावेदिका के पिता स्व0 रामगरीब कोल की मृत्यु 1987 में हुई थी जबकि वसीयत 1989 की है। इसके अतिरिक्त जब नामांतरण आदेश 2004 में हो गया था तो इसकी

इत्तलावी 2010 में कराई गई जिससे अनावेदिका को उक्त नामांतरण की जानकारी न हो सके। फर्जी वसीयत मृत्यु के बाद कूटरचित तरीके से तैयार कराई जाकर आधे हिस्से पर जो नामांतरण अपने नाम कराया है व पूर्णतः गलत है। अनावेदिका के ~~माता~~–पिता द्वारा कभी कोई वसीयत आवेदक के पक्ष में नहीं की। यदि अनावेदिका के पिता द्वारा कोई वसीयत की होती तो उसकी जानकारी अनावेदिका की मॉ को तथा अनावेदिका को होती। यह भी तर्क दिया कि आवेदक द्वारा फर्जी एवं कूटरचित वसीयत अनावेदिका की सम्पत्ति को हड़पने की नियति से तैयार कराई गई। आवेदक न तो कभी अनावेदिका के माता–पिता के साथ रहा व न ही उनकी कभी देखभाल व सेवा आदि ही किया। मात्र अनावेदिका जो एक गरीब, अनपढ़ महिला है उसकी सम्पत्ति हड़पने की नीयत से फर्जी व कूटरचित वसीयतनामा आवेदक द्वारा तैयार कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदिका व उसकी मां को न तो कभी कोई सम्मन व सूचना दिया गया व न ही कभी अनावेदिका अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई व न ही किसी प्रकार का जवाब ही दिया, न ही कोई बयान दिया। तर्क में यह भी कहा गया कि कथित फर्जी तरीके से कराए गए नामांतरण की जानकारी अनावेदिका को उस समय हुई जब अनावेदिका की भूमियों की फसल का पाला मुआवजा राशि का चेक माह मार्च 2011 में आवेदक के नाम से गांव में हल्का पटवारी द्वारा वितरित किया जा रहा था, तब उक्त नामांतरण आदेश की जानकारी अनावेदिका को दिनांक 26.03.2011 को हुई तब अनावेदिका ने उसी दिनांक 26.03.2011 को ही नकल का आवेदन दिया, जिसकी प्रमाणित प्रति अनावेदिका को दिनांक 01.04.2011 को प्राप्त हुई। उसके बाद 02.04.2011 को अनावेदिका ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी दिनांक से समय–सीमा में अपील अनुविभागीय अधिकारी को की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समय–सीमा में मान्य करने का जो आदेश दिया है वह सही है। अतः निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी की धारा 5 पर लिये गये निर्णय को चुनौती दी गई है अतः इसी बिन्दु को विचार में लेकर ही प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में अनावेदिका दिनांक 24–5–2003 तथा दिनांक 20–6–2003 को उपस्थित हुई, परन्तु उसके पश्चात आगामी कार्यवाही में उपस्थित नहीं है तथा आदेश दिनांक को भी उसके उपस्थित होने की कोई जानकारी आदेश पत्रिका में नहीं है। अतः आदेश की जानकारी अनावेदिका को तत्समय हो गई थी, ऐसा नहीं माना जा सकता। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन पश्चात अनावेदिका का धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया है। प्रकरण में अभी गुण–दोषों पर निराकरण होना है अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी हूजूर जिला रीवा का आदेश दिनांक 28–2–2014 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर